## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 145/2017

श्यामसुन्दर सौंथलिया पुत्र जोधराज सौंथलिया जाति महाजन निवासी ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–वादी

बनाम

1. मातादीनसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. बिहारीलाल
3. परमेश्वरलाल
4. बृजलाल पुत्रान महादेवाराम
5. प्रभाकरसिंह
6. जयदीपसिंह पुत्रान कायमसिंह
7. नथकंवर पत्नी कायमसिंह जाति राजपूत निवासीगण रामचन्द्रपुरा राजपूत कॉलोनी शेखावत भवन सरकारी गर्ल्स स्कूल के पीछे शेखावत नगर छावनी कोटा जिला कोटा राज0
8. सज्जनसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी 465 आरडी शेखावतों की ढाणी मु0पो0 सत्तोर जिला बीकानेर राज0 (फौत–हजफ)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व विभाजन

वकील वादी –श्री नरेन्द्रसिंह शेखावत
वकील प्रति01–श्री महेश कुमार वर्मा
प्रतिवादी नं. 5 ल0 7–श्री वि.के.शेखावत

### निर्णय

निर्णय तिथि 02.09.2019

वाद वादी दिनांक 04.06.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2019/1801 दिनांक 26.08.2019 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिकी किये जाने में कोई एतराज नही होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद न्यायोचित होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

### आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम जाखल की भूमि ख.न. 534 रकबा 2.42 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. भूमि ख.न. 534/1.15 है0 का श्यामसुन्दर सौंथलिया पुत्र जोधराज सौंथलिया जाति महाजन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ख.न. 534/2/0.59 है0 का बिहारीलाल परमेश्वरलाल बृजलाल पि0 महादेवाराम जाति कुमावत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

3. ख.न. 534/3/0.59 है0 का मातदीनसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

4. ख.न. 534/1/0.09 है0 का श्यामसुन्दर सौंथलिया पुत्र जोधराज सौंथलिया जाति महाजन को 2/3 हिस्से का, बिहारीलाल परमेश्वरलाल बृजलाल पुत्र महादेवाराम जाति कुमावत हि0 1/6 मातादीनसिह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत हि0 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2-9-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
नवलगढ

Scanned by CamScanner